प्रारूप--ख
नियम 2 (1) देखिए
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़

विषयः-- वृक्ष कटाई के संबंधमें निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भः-- आपके न्यायालय का ज्ञापन कमांक 2075/अ.वि.अ(रा)/प्रवा. 1/2026 दिनांक --/07/2026

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 12-08-26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे--

(क) आवेदक एवं उनके नातेदार — स्वयं.

(ख) सरपंच/पंच

(ग) पटवारी/कोटवार

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी

सरपंच
ग्राम पंचायत बिंजली
जनपद पंचायत नारायणपुर

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1 खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है--

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाती और संख्या

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाती और संख्या

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक — को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि--

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाती और संख्या साल 1

(ख) परिक्वक वृक्षों की प्रजाती और संख्या साल 2 महुआ 1 बरगद 1

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या साल - 1 (सूखा) गीरा हुआ है

(घ) वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड यदि कोई हो

(ङ) अन्य विवरण

राजस्व अधिकारी का नाम
पदनाम राजस्व निरीक्षक
हस्ताक्षर नारायणपुर
अतिप्रभारी अधिकारी

वन अधिकारी का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर

ग्राम लेलखी प. ह. नं. 03 बिंजली

परिक्षेत्र (बीट) खड़का, परिक्षेत्र नारायणगढ़ आवेदक सुरेश कुमार पुत्र पिता लालचंद

ख. नं. 10/2

क्र.	वृक्ष की प्रजाति	छाती गोलाई सेंटी मी. में	वर्तमान हालात
1/1	साल	259	जीवित
1/2	साल	208	जीवित
2	महुआ	199	जीवित
3	महुआ	190	जीवित
4	बरगद	440	जीवित
5	साल	160	छत गिरा हुआ

गोरखवारा

वृक्ष का नाम	संख्या	जीवित / सूखा
साल	02	जीवित
साल	01	सूखा
महुआ	02	जीवित
बरगद	01	जीवित

उपरोक्त वृक्षों की गणना परिक्षेत्र सहायक वनविभाग राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी व अन्य ग्रामवासीयों के उपस्थिति में किया गया।

पटवारी
प. ह. नं. 03 बिंजली
प. बि. नं. नारायणगढ़

B.F.O
Jagjeet Singh Thakur
Beat Forest Officer
Binjli